बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी0पी0एम0–67 / 2016 4930 / कृ0, पटना, दिनांक 23/11/2016

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : **केन्द्र प्रायोजित प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना के अन्तर्गत अन्यःक्षेप (PMKSY Other Interventions) हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्रांश मद में 1033.00 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 688.67 लाख रूपये कुल 1721.67 लाख (सतरह करोड़ इक्कीस लाख सड़सठ हजार) रूपये की लागत पर योजना की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

निदेशानुसार, केन्द्र प्रायोजित प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना के अन्तर्गत अन्तःक्षेप (PMKSY Other Interventions) के द्वारा भूगर्भ जलस्तर को उपर लाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्रांश मद में 1033.00 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 688.67 लाख रूपये कुल 1721.67 लाख (सतरह करोड़ इक्कीस लाख सड़सठ हजार) रूपये की लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा चिन्हित राज्य के प्रायः सूखे से प्रभावित रहने वाले कुल 23 जिले यथा बॉका, बेगुसराय, भागलपुर, बक्सर, गोपालगंज, कटिहार, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, रोहतास, सीतामढ़ी, वैशाली, नवादा, औरंगाबाद, भोजपुर, गया, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, पटना, सारण एवं सिवान के 184 ऐसे प्रखंडों जहाँ मॉनसून पूर्व भूजल स्तर में गिरावट पाया गया है में प्रस्तावित योजना के माध्यम से भूगर्भ जलस्तर में वृद्धि एवं अतिरिक्त सिचाई क्षमता के सृजन हेतु जल संचयन संरचना के निर्माण एवं जिर्णोद्धार / गाद की सफाई का कार्य किया जायेगा। योजनान्तर्गत कुल 469 जल संचयन संरचना का निर्माण, 56 सामुदायिक तालाब एवं 179 यूनिट आहर की मरम्मति एवं गाद की सफाई का कार्य संलग्न अनुसूची–। के अनुसार किया जायेगा। दिनांक 21.07.2016 को आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सरकारी एवं सामुदायिक तालाब का कार्य प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा।

3. योजना हेतु चिन्हित कुल 23 जिले के 184 प्रखंडों में से वैसे जिले / प्रखंड जहाँ PMKSY Watershed Development (IWMP) परियोजनाओं का कार्यान्वयन पूर्व से किया जा रहा है एवं योजना कार्य चरण (work phase) में है का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। शेष जिलों / प्रखंडों में स्थल विशेष के तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यमद का चयन किया जायेगा। यह कार्य ग्रामीण भागीदारी मूल्यांकन (Participatory Rural Appraisal) के माध्यम से भूमि संरक्षण के तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए net planning कर किया जायेगा। अधिक से अधिक स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर प्रभावी संरचनाओं का निर्माण किया जायेगा ताकि वर्षा जल को अधिक से अधिक संरक्षित कर भूमिगत जलस्तर में वृद्धि किया जा सके।

4. योजनान्तर्गत सरकारी एवं सामुदायिक भूमि तथा जलछाजन क्षेत्र में कराये जाने वाले सभी कार्य लाभुक समूहों के द्वारा समिति बनाकर कराया जायेगा। जलछाजन क्षेत्र के बाहर निजी भूमि पर होने वाले कार्यो के लिए योजना हेतु चिन्हित प्रखंड के कृषको से आवेदन प्राप्त कर स्थल जॉच के उपरान्त नियमानुसार योजना का चयन एवं कार्यान्वयन किया जायेगा। मरम्मति एवं गाद की सफाई कार्य की स्थिति में कार्य आरंभ करने के पूर्व सभी सम्बंधित विभाग की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निर्माण एवं मरम्मति के उपरान्त संरचनाओं की देख–रेख एवं रख–रखाव उससे जुडे संबंधित कृषक / कृषको की समिति द्वारा की जायेगी। योजना कार्य पूर्ण होने के पश्चात व्यय की गई राशि एवं कराये गये कार्यो का विवरण सभी सम्बंधित विभाग को उपलब्ध कराने की अनिवार्यता योजना कार्यान्वयन एजेंसी की होगी। योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016–17 में किया जायेगा।

5. चयनित योजना स्थल का योजना कार्यान्वियन के पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति के पश्चात अक्षांश देशान्तर युक्त फोटो भुवन पोर्टल पर अनिवार्य रुप से अपलोड किया जायेगा, ताकि चयनित स्थल एवं योजना की प्रगति को आनलाईन देखा जा सकेगा। बी0डब्लू0डी0एस0 (Bihar Watershed Development Society) कार्यालय में जी0आई0एस0 लैब स्थापित है।

6. मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम में विभिन्न एजेंसियों/विभागों द्वारा पूर्व में किये गये कार्य तथा वर्तमान में प्रस्तावित कार्यक्रमों/कार्यमदों में डुप्लीकेसी की संभावना को समाप्त करने के लिए मुख्य रुप से योजना क्षेत्र का अक्षांश–देशान्तर लिया जायेगा एवं संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी को योजना की पूर्ण सूची उपलब्ध कराई जायेगी। PMKSY WD परियोजना क्षेत्र में इस योजना के कार्यमदों को PMKSY WD (IWMP) के DPR में शामिल कर कार्य आरंभ किया जायेगा। इस परियोजना हेतु निर्धारित कार्यमद को कालांतर में PMKSY की दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सिचाई एवं जिला सिचाई योजना (DIP) के साथ एकीकृत कर लिया जायेगा।

7. योजना अंतर्गत बजट शीर्ष उपबंधित राशि एवं स्वीकृति राशि की सूची निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मॉग संख्या–01, मुख्य शीर्ष–2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लधु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, उपशीर्ष–0218 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347, विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड– P2401001090218	6053.06	856.00
मॉग संख्या–01, मुख्य शीर्ष–2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लधु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0239 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347, विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा विपत्र कोड– P2401007890239,	1561.97	164.00
मॉग संख्या–01, मुख्य शीर्ष– 2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लधु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0261 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347, विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड– P2401007960261,	157.33	13.00
योग	**7772.360**	**1033.00**
राज्यांश		
मॉग संख्या–01 ,मुख्य शीर्ष–2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लधु शीर्ष–109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, उपशीर्ष–0318 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347, विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड– P2401001090318,	3941.54	570.66
मॉग संख्या–1, मुख्य शीर्ष– 2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लधु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0339 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, पी0एफ0एम0एस0 कोड– 9347, विषय शीर्ष– 31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड–P2401007890339	1010.65	109.34
मॉग संख्या–01, मुख्य शीर्ष–2401 फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष– 00, लधु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष– 0361 प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9347, विषय शीर्ष– 31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड– P2401007960361	101.06	8.67
योग	**5053.250**	**688.670**
सकल योग	**12825.61**	**1721.670**

8. भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार विकास पटना से स्वीकृत राशि की निकासी फार्म बी0टी0सी0–46 पर की जायेगी तथा बिहार वाटरशेड डवलपमेंट सोसाइटी, पटना के पी0एल0 खाता संख्या–PLA-265 में अंतरित/जमा की जायेगी। यह निकासी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BWDS पटना से प्राप्त पूर्व प्राप्ति रसीद के आलोक में की जायेगी। निकासी की गई राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर महालेखाकार/कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। महालेखाकार को अंकेक्षण का अधिकार होगा, साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरुप

अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवर्यता होगी। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा।

9. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–67/2016 के पृ0सं0– 58/प. पर दिनांक : 19.09.2016 को प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या– 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– पी0पी0एम0–67/2016 के पृ0सं0–20/टि0 पर दिनांक 18.11.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24/11/16

(रामजी सिंह)
सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–67/2016– 4930 /कृ0, पटना दिनांक– 23/11/ 2016

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले॰ एवं ह॰), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/11/16

सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–67/2016– 4930 /कृ0, पटना दिनांक– 23/11/ 2016

प्रतिलिपिः– उप सचिव, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/11/16

सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–67/2016– 4930 /कृ0, पटना दिनांक– 23/11/ 2016

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/11/16

सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–पी0पी0एम0–67/2016– 4930 /कृ0, पटना दिनांक– 23/11/ 2016

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/कृषि निदेशक/निदेशक, पी0पी0एम0/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/ सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/11/16

सरकार के विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Annaxure-I

Action Plan of PMKSY (Other Intervention)

Rs. in lakh, Phy. In No./Unit

S.N.	District	Target											
		PCD (25')		Repairing and Desiltation of Aahar (500 ft. =1 Unit)		Repairing and Desiltation of Community Pond (200'X200'X8')		WHT with outlet (150'X100'X8')		SDD (500Ft.)		Total	
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Aurangabad	5	41.98	10	12.74	-	0.00	17	36.67	-	0.00	32	91.39
2	Banka	3	25.19	-	0.00	-	0.00	18	38.83	21	40.91	42	104.92
3	Begusarai	-	0.00	-	0.00	-	0.00	34	73.34	-	0.00	34	73.34
4	Bhalgalpur	-	0.00	-	0.00	12	65.17	24	51.77	-	0.00	36	116.94
5	Bhojpur	-	0.00	-	0.00	10	54.31	12	25.88	-	0.00	22	80.19
6	Buxer	-	0.00	-	0.00	2	10.86	9	19.41	-	0.00	11	30.28
7	Gaya	2	16.79	37	47.14	2	10.86	16	34.51	-	0.00	57	109.30
8	Gopalganj	-	0.00	-	0.00	-	0.00	8	17.26	-	0.00	8	17.26
9	Jamui	3	25.19	-	0.00	-	0.00	6	12.94	16	31.17	25	69.30
10	Jehanabad	2	16.79	-	0.00	-	0.00	14	30.20	-	0.00	16	46.99
11	Katihar	-	0.00	-	0.00	-	0.00	18	38.83	-	0.00	18	38.83
12	Lakhisarai	2	16.79	1	1.27	1	5.43	7	15.10	2	3.90	13	42.49
13	Madhepura	-	0.00	-	0.00	-	0.00	32	69.02	-	0.00	32	69.02
14	Munger	5	41.98	-	0.00	2	10.86	8	17.26	-	0.00	15	70.10
15	Muzaffarpur	-	0.00	-	0.00	-	0.00	39	84.12	-	0.00	39	84.12
16	Nalanda	2	16.79	13	16.56	2	10.86	6	12.94	-	0.00	23	57.16
17	Nawada	2	16.79	31	39.49	5	27.16	4	8.63	4	7.46	46	99.53
18	Patna	-	0.00	61	77.71	6	32.59	2	4.31	-	0.00	69	114.61
19	Rohtas	2	16.79	26	33.12	1	5.43	23	49.61	-	0.00	52	104.96
20	Saran (Chapra)	-	0.00	-	0.00	8	43.45	12	25.88	-	0.00	20	69.33
21	Sitamarhi	2	16.79	-	0.00	5	27.16	30	64.71	-	0.00	37	108.66
22	Siwan	-	0.00	-	0.00	-	0.00	38	81.97	-	0.00	38	81.97
23	Vaishali	-	0.00	-	0.00	-	0.00	19	40.98	-	0.00	19	40.98
	Grand Total :-	**30**	**251.88**	**179**	**228.05**	**56**	**304.14**	**396**	**854.17**	**43**	**83.43**	**704**	**1721.67**

12/8/2016
JDA

12.8.16